



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 361) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

26 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-42/2020-1513/न0वि0एवंआ0वि0—नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 610 दिनांक 17.02.2021 द्वारा नगर परिषद् सुलतानगंज का क्षेत्र विस्तार किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना में अंकित विवरणी के कॉलम 3 में टंकण त्रुटि के कारण “अब्जुगंज-05 पूर्ण भाग” के स्थान पर “अब्जुगंज-05 अंश” अंकित हो गया है। साथ ही कॉलम 5 में चौहद्दी के अन्तर्गत अंकित “दक्षिण-मिरहट्टी” के स्थान पर “दक्षिण-मीरहरी” एवं “पश्चिम-मसदी” के स्थान पर “पश्चिम-अब्जुगंज का शेष भाग” अंकित हो गया है।

3. अतएव एतद् द्वारा अधिसूचना संख्या 610 दिनांक 17.02.2021 में अंकित विवरणी के कॉलम 3 में अंकित “अब्जुगंज-05 अंश” के स्थान पर “अब्जुगंज-05 पूर्ण भाग” तथा कॉलम 5 में “दक्षिण-मीरहरी” के स्थान पर “दक्षिण-मिरहट्टी” एवं “पश्चिम-अब्जुगंज का शेष भाग” के स्थान पर “पश्चिम-मसदी” पढ़ा एवं समझा जाय।

4. उक्त अधिसूचना का शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 361-571+200-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>